

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-187) अलेसे-1/ 421

दिनांक:- 15-6-2017

कार्यालय आदेश

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (लिंग न. 668), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय कोटा जिनकी जन्म तिथि 19.07.1959 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 16.07.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 16.07.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 03.04.1979 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-187) अलेसे-1/ 421

दिनांक:- 15-6-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय कोटा।
2. कोषाधिकारी, कोटा।
3. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय कोटा।
4. उपनिदेशक (एसीपी) मु. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाइल।

(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- II)